

(1)

जीतों के उपविभाजन एवं अपरेंडन के कारण B.M. Part 2  
Paper 3/3d

(Causes of Sub-division and fragmentation of holdings)

भारत में जीतों के उपविभाजन तथा अपरेंडन के सहृत से कारण हैं जिनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं—

(i) जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि (Excessive Growth of Population) सर्वप्रथम, तो जनसंख्या में उत्तरीतर वृद्धि के कारण जीतों का उपविभाजन निरन्तर बढ़ते ही जा रहा है और अब तो यह 102 कर्हड़ी की संख्या की भी पार कर गया है। जल्दक देश में पर्याप्त कृषि-जीवन भूमि उपलब्ध थी, तब तक परिवार के अतिरिक्त सवस्थीं का प्रबन्ध भूमि के उपविभाजन किए वर्गेर ही सम्भव था। लेकिन आज भारत में जिस गति से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है उस गति से कृषि-जीवन भूमि नहीं बढ़ती। पिछले 10 वर्षों में भारत की जनसंख्या में साय 22% की वृद्धि हुई है, लेकिन भूमि की मात्रा तो सायः निश्चित ही है। साथ ही, भारत का मुख्य व्यक्षसाय कृषि ही है। ऐसी स्थिति में भूमि के अपरेंड जनसंख्या का दबाव निरंतर बढ़ते ही जा रहा है जिसके फलस्वरूप जीतों का उपविभाजन इस अपरेंडन भी बढ़ते ही जा रहा है। वास्तव में, उपविभाजन जनसंख्या में वृद्धि के कारण जीतों का आकार निरंतर घटा होते जा रहा है।

(ii) उत्तराधिकारी तथा पैतृक-सम्पत्ति भूमिकी कानून (Law of Inheritance) भारत में उत्तराधिकार के वियमन भी उपविभाजन तथा अपरेंडन के प्रिय बहुत हद तक उत्तरवायी हैं। यहाँ हिन्दू परिवार में प्रत्येक पुत्र का पिता के जीवनकाल में ही परिवार की सम्पत्ति पर समान अधिकार ही जाता है। हिन्दू-कौड़ी में परिवर्तन के अनुसार अब तो पिता की सम्पत्तिव के पुत्र के साथ-साथ पुत्रियों की भी हिस्सा मिलता है। विभाजन के सम्बन्ध प्रत्येक उत्तराधिकारी हर प्रकार की भूमि का एक-एक अंश पाहता है जिससे उपविभाजन के साथ-साथ अपरेंडन भी बढ़ते भुा रहा है। इंग्लैंड में

और अफ्रीकीनेचर के अनुसार भू-सम्पत्ति में कैपल लड़के को हिस्सा मिलता है। पर इस प्रकार हमारे ६ की व्यवस्था हमारे देश में नहीं है।

(iii) हृदय उद्योग - धन्यों का हास (Decline of cottage industries)-  
भारत १८वीं तथा १९वीं शताब्दी के समय तक अपने सूद-उद्योगों के लिए व्यविष्यात था; लेकिन इंडिया की औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप मशीनों द्वारा उनी हुई कस्तुओं की स्पष्टि से इन उद्योगों का हास ही गया जिससे कारोगारों के समाज कृषि के अतिरिक्त कोई दूसरा पैशा ही नहीं रह गया। कृषि की वज्रती हुई जनसंख्या के जीविकोपार्जन का एक मात्र साधन रह गयी। इसके फलस्वरूप भूमि पर आस्रित की ज़रूरत में दृष्टि ही गयी और कृषि स्पं उद्योगों के बीच अन्तुलन प्रायः समाप्त ही गया।

(iv) किसानों की ज़टणग्रस्तता (Rural indebtedness) - किसान छीज, औजार, उर्ध्वं भैशी आदि खरीदने सक्षम तथा शादी, प्राप्ति के लिए उहुया अपनी भूमि को बन्धक खकर महाजनों से कर्ज लेते हैं। लेकिन कर्ज को नियारित समय पर अदा नहीं करने के कारण इन्हें गोप वाद्य होकर अपनी भूमि महाजनों के हाथ बेचना पड़ता है। इससे भी एक भूमि के उपविभाजन में स्मावता मिलती है। अतः किसानों की ज़टणग्रस्तता भी जीतों के उपविभाजन तथा अपर्याप्ति का एक मुख्य कारण है।

(v) संयुक्त परिवारिक व्यवस्था का विनाश तथा व्यक्तिवाद भावना का प्रसार (Breakdown of the joint system and Growth of the spirit of individualism) - प्राचीन काल में हमारे देश में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी जिसमें कृषि कर्म सम्मिलित रूप से होता है था। इससे जीतों का उपविभाजन बहुत कम होता था। लेकिन, आज व्यक्तिवाद भावना के पिकास के फलस्वरूप लोग पृथक-पृथक रहना अधिक पसन्द करते हैं। इससे जीतों का उपविभाजन निरन्तर घटते ही जा रहा है। इस प्रकार, संयुक्त परिवार की प्रथा विनाश व्यक्तिवाद भावना के प्रसार के फलस्वरूप भी उपविभाजन तथा अपर्याप्ति का

अधिकारिक होने लगा है। वास्तव में व्यक्तिगत दृष्टिकोण से यह परिवर्तन उपविभाजन एवं अपखण्डन का सार्वाधिक प्रमुख कारण है।

(v) भू-सम्पत्ति से विशेष प्रेम (Too much attachment to landed property)- साधारणतया भारतीय भू-सम्पत्ति से विशेष प्रेम दिखाते हैं। भारत में भूमि की प्रतिष्ठा, सम्मान एवं भवनन्ता का साधन समझा जाता है। 'उत्तम कृषि भव्यम् वाणा' की कहावत आज भी किसानों के छीच प्रभावित है। भल्लुः प्रत्येक व्यक्ति अपनी पैरों का भू-सम्पत्ति व्यक्ति से चिपका रहता है तथा अगाहति उसे मापने हाथ से निकलने नहीं देता है।